संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2* *लखनऊ: दिनांक 27 मई, 2022*

विषय: आजीवन कारावास से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति हेतु निर्गत स्थायी नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 28.07.2021 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 के प्रस्तर-1, प्रस्तर-2(ख), प्रस्तर-2(च) एवं प्रस्तर-2(छ) में सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संशोधन किये जाने एवं प्रस्तर-12 को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेगें:-

| **स्तम्भ-1** | | **स्तम्भ-2** |
|---|---|---|
| प्रस्तर संख्या | शासनादेश दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 28.07.2021 में पूर्व स्थापित प्रावधान | स्थापित नियम में संशोधित प्रावधान |
| 1 | श्री राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), एवं गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूध्द सिद्धदोष बन्दियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। | श्री राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी), महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त), शिक्षक दिवस (05 सितम्बर), गॉधी जयन्ती (02 अक्टूबर), अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (16 नवम्बर), एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर) के अवसरों पर उत्तर प्रदेश के मा0 न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों की कारागारों में निरूध्द सिद्धदोष बन्दियों के दण्ड को निम्नानुसार लघुकृत करते हुए रिहा किये जाने हेतु स्थायी नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| **2(ख)** | आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है एवं विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। | **2(ख)** आजीवन कारावास की सजा दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी में इंगित किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 16 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। |
| **2(च)** | आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं हैं तथा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार सजा एवं 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। | **2(च)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-xiii में वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपनियम से आच्छादित नहीं है तथा उनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार सजा एवं 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। |
| **2(छ)** | आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-(**vi**), (**viii**) अथवा (**ix**) से आच्छादित हैं उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी हो एवं विचाराधीन अवधि सहित 25 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। | **2(छ)** आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कारागार में निरूध्द ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी, जिनका अपराध आगे धारा-3 में वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के उपनियम-(**vi**), (**viii**) अथवा (**ix**) से आच्छादित है उनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 25 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो। |
| **12** | - | स्थायी नीति के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे पात्र सिद्धदोष बन्दी जिनकी समयपूर्व रिहाई से लोक व्यवस्था/ जनहित प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे बन्दियों का रिहाई प्रस्ताव समिति द्वारा निरस्त किया जायेगा। |
| | उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे। | |

3- अत: शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01.08.2018 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-52/2022/1240(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- समस्त प्रान्तों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
6- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
10- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11- महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश।
17- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/आदर्श/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
18- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।